


प्रतिलिपि के लिए आवेदक की तारीख	स्टाम्प की अपेक्षा करने के	गैर फोलियो	तारीख जबकी देने के लिए प्रतिलिपि तैयार थी	आवेदक को प्रतिलिपि देने की तारीख
Date of application for the copy	Date for the registration stamps and folios	of the folios	Date on which the copy was ready for delivery	Date of making over the copy to the applicant
8/5/12	8/5/12	8/5/12	9/5/12	9/5/12



FOLIO NOT AVAILABLE
 सच्ची प्रतिलिपि अंतिम प्रकाशित खतियान के खंसेरा संख्या 885
 खाता नं० 224 वाई सं० 1 जमशेदपुर अधिसूची क्षेत्र, जिला पूर्वी सिंहभूम

गाँव थाना	मोहल्ला पट्टी	परगना	थाना सं०	तौजी सं०	स्वत्वाधारी का नाम और उसकी खेवट संख्या मध्यवर्ती भू-स्वामी का नाम और उसका खेवट संख्या यदि हो				
खतियान की क्रम सं०	अभिधारी का नाम पिता का नाम जाति और निवास	खेत		भूमि का स्वरूप	रकबा हे० आर० सं०	अभ्युक्ति	गैर नगदी लगान वाले हरेक प्लेट के सामने बताए कि उस पर कब्जा कैसे है		(1) अधियोगी रयत कर हैसियत और कब्जे की अवधि। (2) लगान किस प्रकार नियत किया गया, आर०हे (प्रोप्रेसिव हो तो विशिष्टियों) (3) कोई विशेष शर्त और अनुषंगत बात यदि हो।
		खेसरा संख्या	चौहदी				राजस्व पदाधिकारी द्वारा अभिनिश्चित लगान। 1 लगान 2 सेस	बन्दोबस्त उचित लगान यदि हो 1 लगान 2 सेस	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
224	चिरंजी साह चोपली पिता बदरी साह चोपली	885		शीनास चोपली कोठान चासी कोठान भकान पक्का खपड़ा पीस भकान पक्का	0.00.02 0.00.13 0.00.17 0.00.23 0.00.22 0.00.37				
	सच्ची प्रतिलिपि अभिलेख पत्र सिंहभूम बन्दो जमशेदपुर 9-5/12		प्रतिलिपिक	तुलना किया 9-5/12			8000 आठ हजार आसके सेस		पट स्वत्व अभिलेख जेठानागपुर कारखाने अधिनियम 1908 की धारा 8(2) तथा विहार एवं उड़ीसा नगरीय स्वत्व अधिनियम 1920 की धारा 4 के अन्वयेक तैयार हुआ और इसका अन्तिम प्रतिलिपि दिनांक 12. जनवरी 1923 को किया गया। अन्तिम प्रकाशन प्रमाण पत्र दिनांक 12. जनवरी 1923 को अस्तित्व में हुआ। बन्दोबस्त पदाधिकारी जमशेदपुर

Certified to be True Copy
 Head Clerk to the Settlement office
 is authorised U/s 76 of the Indian Evidence Act. 1872